<u>न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :-63/2021/टोंक

विकास समिति मेघवंशी (बलाई) समाज बृजलाल नगर रजिस्टर्ड नं0 103/टोंक/98/99 जरिये अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद मेघवंशी पुत्र रामदेव मेघवंशी जाति बलाई निवासी ग्राम मांदोलाई हाल निवासी मालपुरा जिला टोंक।

--अपीलांट

बनाम

1. सुबराती पुत्र घासी
2. इस्माईल पुत्र घासी
3. दांखा पत्नि घासी

   सभी जाति देशवाली निवासी देशवाली मौहल्ला मालपुरा जिला टोंक।
4. तहसीलदार ,मालपुरा जिला टोंक।
5. नगरपालिका मालपुरा जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मालपुरा, जिला टोंक।

——रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विदवान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा दिनांक 23.07.2021 जो प्रकरण संख्या 289 / 2020 उनवानी सुबराती वगैरह बनाम् तहसीलदार मालपुरा में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:—श्री पुष्पेन्द्र सिंह(वकील अपी0)
श्री आशीष जैन,श्री एस0एल0 चौधरी (रेस्पो0 अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

<u>**निर्णय**</u> दिनांक:—01.06.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि धारा 128,59,60 एल आर एक्ट के तहत दिनांक 06.07.2021 को एस0डी0ओ मालपुरा के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 1 से 3 के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सन् 1974—75 में खसरा नम्बर 1337 / 299 / 2, 2 बीघा 14 बिस्वा, 1337 / 299 / 3 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, पुराने नम्बर है और नये खसरा नम्बर 1337 / 1808 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा व 1337 / 1809 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि बृजलालनगर में घासी खां को आवंटित हुई थी। इन्हीं खसरा नम्बरों में अन्य रेस्पो0 क्रमांक [illegible] बेवा श्रवण, नरेन्द्र पुत्र श्रवण बलाई को भी भूमि अलॉट की गई थी। मगर इन न वहा कब्जा है न काश्त है। एक अन्य खसरा नम्बर 1316 / 300 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा भी अपीलांट की खातेदारी का है। जिसकी तरमीम नक्शाशीट में हो रखी है। खसरा नम्बर 1337 / 1809 तथा 1337 / 1808 की तरमीम नही होती है। मौके पर अपीलांट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:29 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा काश्त है, चारदीवारी बनी है। काश्त के अनुसार शीट में तरमीम किया जाना आवश्यक है। अतः खसरा नम्बर 1337/1808 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा की तरमीम कब्जे के अनुसार की जायें। एक अन्य प्रार्थना पत्र उनके द्वारा पेश कर विवादित खसरा नम्बर 1337/1808 का रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा से कम करते हुए 2 बीघा 6 बिस्वा मानते हुए तरमीम करवायी।

अपीलांट के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 1337/299/1/3 नये खसरा नम्बर 1337/1/7 रकबा 5 बीघा के खातेदार काश्तकार को बिना सनु, बिना पक्षकार बनाये दिनांक 23.07.2021 को एस0डी0ओ मालपुरा द्वारा आदेश जारी कर दिया। उक्त आदेश में यह अंकित किया है कि तहसीलदार मालपुरा द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावित तरमीम प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि ग्राम बृजलालनगर के खसरा नम्बर 1316/300 के नीचे एक लाल रेखा को डीलीट करते हुए आराजी खसरा नम्बर 1337/1/809 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण का रकबा व आराजी खसरा नम्बर 1337/1808 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा में से रकबा 8 बिस्वा कम करते हुए खसरा नम्बर 1337/1808 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा की पुख्ता तरमीम नक्शाशीट में किये जाने के आदेश किये जाते है। एस0डी0ओ मालपुरा के उक्त आदेश दिनांक 23.07.2021 से व्यथित होकर निम्न आधारो पर अपील प्रस्तुत की जा रही है–

1. अपीलांट एक संस्था होकर रिकोर्डेड खातेदार है तथा खसरा नम्बर पुराना 1337/299/1/3(1337/1807) रकबा 5 बीघा भूमि जो कि तरमीमशुदा है। उसको राजस्व रिपोर्ट से विलोपित कर खातेदारी को ही विलोपित कर दिया है उक्त आदेश निरस्त योग्य है।

2. उक्त खसरा नम्बर पुराना 1337/299/1/3 रकबा 5 बीघा पूर्व में श्रवण को अलॉट की गई थी। कमला श्रवण की पत्नि और नरेन्द्र श्रवण का पुत्र है। इनका आराजी पर कब्जा था तथा इनसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि विकास समिति मेघवंशी समाज द्वारा क्रय की गई। तब से समिति का कब्जा है तथा मौके पर पक्की दीवार बनाई गई है। यहां छात्रावास का निर्माण किया जाना है। वर्तमान में भी 1337/1807 अपीलांट की खातेदारी में है।

3. सन 1992 में अपीलांट की उक्त खातेदारी भूमि की 1337/299/1/3 की तरमीम अलॉटी की कब्जे के अनुसार की गई। और उसी अनुरूप अपीलांट क्रेता काबिज है। एक बार तरमीमशुदा भूमि पर पुनः तरमीम किये जाने के आदेश बिना सक्षम न्यायालय के आदेश पूर्व तरमीम किये बिना नहीं दिया जा सकता है।

4. अपीलांट अनुसूचित जाति के है और उनकी आराजी पर यह अनुसूचित जाति को तरमीम के माध्यम से नहीं बिठाया जा सकता। अतः एस0डी0ओ मालपुरा का आदेश दिनांक 23.07.2021 निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:29 IST
Reason: SelfAttested

5. अपील मीमौ के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया साथ ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.2021 को एस0डी0ओ द्वारा जारी पत्र दिनांक 27.07.2021 जो कि तहसीलदार को लिखा गया था अनुमोदित नक्शा,

जमाबंदी खाता नम्बर 677, 661 विकास समिति नक्शाट्रेश दिनांक 11.09.2018 पटवारी रिपोर्ट दिनांक 13.07.2021 विकास समिति के पक्ष में कमला व नरेन्द्र द्वारा किया गया पत्र दिनांक 14.02.2000 एफआईआर नम्बर 134/15 थाना मालपुरा मौका तरमीम नक्शा दिनांक 18.06.1992 उपरोक्तानुसार अपील प्राप्त होने पर न्यायलय के क्षैत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश की पत्रावली मंगवायी जाकर प्राप्त की गई। अपील के साथ अपीलांट द्वारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया। साथ ही स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

बहस उभयपक्ष अभि0 सुनी गई, अपीलांट अभि0 के अनुसार चूंकि नक्शे में तरमीम नहीं है। अतः सभी अलॉटीज को पक्षकार बनाया जाना था। पुरानी तरमीम को डिलेट करने पर उसे जुड़े काश्तकार को सुना जाना था। बाउण्डरी वाल हमारे द्वारा बनाई गई है। वकील अपीलांट के अनुसार रेस्पो0 नम्बर 1 से 3 के द्वारा एस0डी0एम मालपुरा के समक्ष धारा 128,59,60 एल आर एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके नम्बर 289/2020 है। पुराने खसरा नम्बर 1337/299/2 का रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा था। जिसके नये नम्बर 1337/1808 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा बना है। साथ ही पुराने खसरा नम्बर 1337/299/1/3 जिससे नये नम्बर 1337/1809 बने है। जिसका रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा है। उक्त भूमियां घासी खां को आवंटित हुई थी। वकील अपीलांट के अनुसार उपखण्ड अधिकारी मालपुरा में उनके द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में दिनांक 06.07.2021 को प्रार्थना पत्र दिया गया था। दिनांक 12.07.2021 को सुबराती द्वारा एक प्रार्थना पत्र लगाया कि उसकी जमीन का रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा की जगह 2 बीघा 6 बिस्वा रखते हुए तरमीम कर दी जायें। सुबराती के आवेदन के आधार पर दिनांक 22.07.2021 को रकबे में संशोधन करते हुए उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा दिनांक 23.07.2021 को प्रकरण को स्वीकार कर लिया गया। अपीलांट की तरमीम हटाकर रेस्पो0 की तरमीम की गई है। वर्तमान अपीलांट को उक्त भूमि कमला द्वारा बेची गई थी। समाज द्वारा बाउण्डरी वॉल बनाई गई, तरमीम की गई। आपराधिक कार्यवाही व पुलिस रिपोर्ट में हमारा कब्जा बताया गया है। 1337/299/1/3 जिसका रकबा 5 बीघा है, यह पुराना खसरा नम्बर है। जिसके नये नम्बर 1337/1807 बने है जिसका रकबा 5 बीघा है इसकी पूर्व में तरमीम हो रखी है। एस0डी0ओ ने हम खातेदार को नहीं बुलाया, नोटिस नहीं दिया गया तथा तरमीम पुराने खसरा नम्बर के आधार पर की गई है। रेस्पो0 अभि0 के अनुसार मूल रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा था जो अब 17 बिघा 18 बिस्वा है। मूल रकबे के 6 बटां नम्बर बने है। हमारी जमीन पर बाउण्डरी वॉल बनी है। शेष भूमि शमसान है। अपीलांट की भूमि 1337/1807 है, हमे अपीलांट से कोई समस्या नहीं है। 1316/3[illegible]री भूमि है, जिसमें से 8 बिस्वा रकबा कम करते हुए तरमीम की गई है। अपीलांट की भूमि पुराने खसरा नम्बर के आधार 1337/299/1/3 है। इसका रकबा 5 बीघा था। उक्त भूमि मूल रूप से दिनांक 18.11.1975 को श्रवणलाल को आवंटित की गई थी। मौके पर उसको कब्जा नहीं दिया गया था। गैर खातेदारी के दौरान श्रवणलाल की मृत्यु हो गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:29 IST
Reason: SelfAttested

श्रवणलाल के वारिस उसकी पत्नि कमला तथा पुत्र नरेन्द्र थे, उक्त दोनो ं के द्वारा भूमि को विकास समिति को बेची गई। वकील रेस्पो0 के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 1337/1808, 1337/1809 हमारे नाम पर है। उक्त भूमि की तरमीम बाबत उपखण्ड अधिकारी मालपुरा में प्रार्थना पत्र हमारे द्वारा दायर किया गया। तहसीलदार मालपुरा से रिपोर्ट मंगवाई गई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार 1337/299 , 5 बीघा भूमि सिवायचक है। 1337/1807 विकास समिति के नाम है। 1337/1808, 2 बीघा 4 बिस्वा है जिस पर हमारा कब्जा है। 1337/1809 ,1 बीघा 12 बिस्वा यह हमारी भूमि है। अन्य लोग पक्षकार नहीं है। कब्जा सिर्फ हमारा है। शेष भूमि शमसान की है। वकील रेस्पो0 द्वारा यह भी बताया है कि तहसीलदार मालपुरा द्वारा नामातंरण निरस्त करने बाबत तथा 14(4) में आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु रेफरेंस तैयार कर ए0डी0एम न्यायालय टोंक में प्रस्तुत किया है चूंकि भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ थी।

तहसीलदार मालपुरा द्वारा दिनांक 13.07.2021 को पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 22.07.2021 को एस0डी0ओ मालपुरा को प्रेषित की गई है। उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है–

1. वाक्य ग्राम ब्रिजलालनगर में आराजी खसरा नम्बर 1337 मूल बन्दोबस्त में 19 बीघा 18 बिस्वा था जिसमें जरिये आवंटन वर्तमान 6 बंटा नम्बर हो गया जिनका विवरण निम्नानुसार है–

1. खसरा नम्बर 1337/299 रकबा 0.12 बीघा बंजर सिवायचक भूमि,
2. खसरा नम्बर 1337/1806 रकबा 5 बीघा बंजर,
मस्तगिरी स्वामी पुत्र लादूगिरी निवासी अरणिया कांकड़ (नोट–स्थगन न्यायालय सिविल न्यायाधीश कखग)मालपुरा द्वारा अंतिम निर्णय तक निषेधाज्ञा(89/07)
3. खसरा नम्बर 1337/1807 रकबा 5 बीघा बंजर विकास समिति मेघवंशी समाज ब्रिजलालनगर, रजिस्ट्रेशन नम्बर 103,टोंक,98,99 जरिये कोषाध्यक्ष महावीर पुत्र नानूराम मेघवंशी, साकिम ब्रिजलालनगर खातेदार(नोट–स्थगन न्यायालय सिविल न्यायाधीश कखग)
4. खसरा नम्बर 1337/299 रकबा 5 बीघा बंजर निरंजन मीणा पुत्र नारायण लाल मीणा जाति मीणा निवासी ए–192, शिक्षा विहार, जगतपुरा, तहसील सांगानेर(नोट–स्थगन न्यायालय सिविल न्यायाधीश कखग)
5. खसरा नम्बर 1337/1809 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा व एफ 1337/1808 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 4 बिघा 6 बिस्वा प्रार्थी सुबराती, इस्माइल पिता घासी खां दावा घासीखां बेवा घासीखां मुसलमान।

उक्त भूमि का मौका निरिक्षण किया, मौके पर प्रार्थी का कब्जा है। प्रार्थी के कब्जे के पूर्व दिशा में पुख्ता दिवार होकर [illegible] लगा हुआ है। उत्तर की तरफ प्रार्थीगण का खातेदारी खेत है। [illegible] रास्ता बना हुआ है। प्रार्थी के कब्जाशुदा भूमि में कंकरीट [illegible] है। शेष भूमि में शमसान रास्ता व पड़त है। जिसकी की नजर नक्शा [illegible] व अन्य रास्ते शमसान इत्यादि प्रदशित है। उक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की रकबा बरारी की गई। मूल खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:29 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर राजस्व रिकोर्ड खसरा नम्बर 1337 रकबा 19 बिघा 13 बिस्वा मूल खसरा नम्बर की रकबा बरारी करने पर कुल रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा ही होता है। जिसमें प्रार्थीगण का कब्जा राजस्व रिकोर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 1337/1809 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 1337/1808 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा है। जिस पर प्रार्थीयान का पूरा कब्जा है। शेष रकबा 15 बिघा 12 बिस्वा राजस्व रिकोर्ड में है। रकबा बरारी में 13 बिघा 12 बिस्वा है जिसमें शमसान, रास्ता और पड़त भूमि है जो नगरीय नक्शे में दर्शायी है। पटवारी हल्का के पास लटठाशीट आंशिक अस्पष्ट प्रति है। उक्त मूल शीट की नकल फोटोप्रति संलग्न है जिसके खसरा नम्बर 1316/300 के नीचे एक लाल लाईन खींची हुई, जिसमें कोई खसरा नम्बर नहीं है और मौके पर उक्त रेखा के अनुसार किसी खातेदार का कब्जा नहीं है। अतः उक्त लाल रेखा को हटाने के बाद ही तरमीम के प्रस्ताव किये जा सकते है।

एफ0आई0आर नम्बर 134/2015 थाना मालपुरा के मौका पर्चा दिनांक 07.05.2015 एवं हालात मौका के अनुसार ए–आराजीया मेघवंशी समाज विकास समिति की होना मुश्तगीस द्वारा बताई है। जिसके मार्क ए–1 से ए–2 पक्की नींव भरी गई है। ए–3 बाड़ा बना हुआ है। जिसके द्वारा बाड़ लगी हुई है, बड़े–बड़े बिलायती बंबूल के पेड़ खड़े हुए है। मार्क वन स्थान पर टपरी बनी हुई जो बाबू खां की होना बताई है। मार्क आई खेत सुबराती खां का है। मार्क जे शमसान घाट है।

पत्रावली पर दिनांक 13.07.2021 लटठाशीट ग्राम ब्रजलालनगर उपलब्ध है। मौका पर्चा दिनांक 13.07.2021 का नजरे नक्शा उपलब्ध है तथा उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा अनुमोदित तरमीम खसरा नम्बर 1337/1808 ग्राम ब्रजलालनगर में उपलब्ध है। वकील अपीलांट द्वारा अपनी पत्रावली के साथ दिनांक 18.06.1992 नक्शा ग्राम ब्रजलालनगर सत्यप्रतिलिपी प्रस्तुत की गई है। जिस पर तहसीलदार या उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है मात्र पटवारी के हस्ताक्षर है।

प्रकरण मुख्य रूप से भूमि आवंटन के बाद तरमीम किये जाने से संबंधित है। भूमि आवंटन के वक्त जब किसी बड़े खसरा नम्बर में अनेक लोगों को आवंटन किया जाता है तो उस समय तरमीम करते हुए मौके पर आवंटियों को कब्जा सौंपा जाता है। यदि उस समय तरमीम नहीं की गई हों तो सक्षम अधिकारी से आज्ञा लेकर तरमीम की जा सकती है। इस हेतु आवंटन रिकोर्ड को देखा जा सकता है, की वक्त आवंटन क्या तरमीम प्रस्तावित की गई थी।

दिनांक 13.07.2021 का पटवारी ब्रजलालनगर द्वारा जारी नक्शाशीट के अनुसार नक्शे में 1337 का अंकन किया हुआ है। नीचे की ओर 299 लाल स्याही से अंकित किया हुआ है। उक्त खसरा नम्बर के दक्षिण की ओर नक्शा अस्पष्ट है और पढ़े जाने लायक नहीं है। मगर मौका पर्चा [illegible] 13.07.2021 के नजरी नक्शा में उक्त दक्षिण दिशा के हिस्से में [illegible] बताया। सुबराती खां का कब्जा खसरा नम्बर 1337/1808 और [illegible] अंकित करते हुए कब्जा बताया है। एस0डी0ओ द्वारा अनुमोदित नक्शा ट्रेश [illegible] 1337/299 उपर की तरफ है। इसकी दक्षिण की तरफ 1337/1808 की तरमीम की हुई है। उक्त नक्शा ट्रेश में

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:29 IST
Reason: SelfAttested

1337 / 1807 का अंकन नहीं किया हुआ पाया गया। रेस्पो0 नम्बर 1 से 3 के अभि0 के द्वारा अपीलाधीन पत्रावली में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष लिखित जवाब में यह अंकन किया हुआ है कि मूल आवंटी श्रवण के हक में जो आवंटन हुआ है उसके विरूद्ध ग्राम वासीयान मालपुरा की तरफ से अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक के यहां भू–आवंटन अधिनियम की धारा 14(4) के तहत एक प्रार्थना पत्र आवंटन को निरस्त करवाने के लिए उनवानी श्रवणलाल प्रकरण संख्या 4 / 2007 पेश कर रखा है। जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में अरिरिक्त जिला कलक्टर टोंक ने स्थगन आदेश जारी कर रखा है।

गलत आवंटन के आधार पर जो नामातंरण श्रवण के हक में भरा गया वह श्रवण के बाद कमला व उसके पुत्र के हम में भरा गया एवं उनके द्वारा बेचान करने पर वर्तमान अपीलांट के पक्ष में भरा गया। उसे निरस्त करवाने के लिए तहसीलदार मालपुरा ने धारा 82 एल आर एक्ट के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक के यहा सरकार बनाम कमला वगैरह के नाम से प्रकरण संख्या 15 / 2007 दर्ज करवा रखा है। जिसमें भी स्थगन आदेश जारी किया हुआ है।

ग्रामवासी मालपुरा द्वारा ही सिविल न्यायाधीश मालपुरा में एक सिविल वाद वर्तमान अपीलांट के विरूद्ध इस आशय का करवा रखा है कि अपीलांट के नाम जो पांच बीघा भूमि है वह कृषि भूमि न होकर शमशान के रूप में है। उक्त प्रकरण भी न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार विवेचन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1337 बड़ा खसरा नम्बर हैं। इसमें कई व्यक्तियों को आवंटन हुआ है। मगर रेस्पो0 नम्बर 1 से 3 को आवंटित भूमियों खसरा नम्बर 1337 / 1808,1337 / 1807 को छोड़ते हुए अन्य भूमियों पर सिविल न्यायाधीश मालपुरा राजस्व न्यायालय ए0डी0एम टोंक द्वारा स्थगन आदेश जारी किये हुये है। यहां तक कि अपीलांट को आवंटित भूमि हेतु भी आवंटन निरस्तीकरण एवं रेफरेंस की कार्यवाही राजस्व अधिकारियों द्वारा की जा रही है। न्यायालय द्वारा भी स्थगन दिया हुआ है जो कि पटवारी रिपोर्ट दिनांक 13.07.2021 से स्पष्ट है।

पटवारी रिपोर्ट दिनांक 23.07.2021 का भी अवलोकन किया गया, इसके अंतिम पैरा के अनुसार "अतः मुताबिक आदेश लठ्ठाशीट में खसरा नम्बर 1337 / 1809 रकबा 1.12 हे0 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1337 / 1808 में से रकबा 0.08 बीघा कम करते हुए आराजी खसरा नम्बर 1337 / 1808 की तरमीम मौके पर कब्जा अनुसार प्रस्तावित की गई है। उपरोक्त खसरा नम्बर में खसरा नम्बर 1316 / 300 की नीचे एक लाल रेखा को डिलीट की जाकर प्रस्तावित की जाकर नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में तैयार किया गया।

पत्रावली के समग्र अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 23.07.2021 को खसरा नम्बर 1337 / 1808 की जो प्रस्तावित तरमीम की गई है, उस नक्शा ट्रेस में 1337 / 1807 का अंकन नहीं हुआ। उक्त नक्शा ट्रेस पर पटवारी के हस्ताक्षर है, गिरदावर द्वारा जांच कर हस्ताक्षर किये हुए है। तहसीलदार मालपुरा द्वारा काउण्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh
Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:28 IST
Reason: SelfAttested

सिग्नेचर किये हुए है तथा उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा उक्त नक्शा ट्रेस को अनुमोदित किया है तथा खसरा नम्बर 1337/1808 की तरमीम की है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 13.07.2021 के अनुसार उक्त भूमि पर वर्तमान रेस्पो0 1 से 3 का कब्जा बताया है।

पटवारी रिपोर्ट दिनांक 13.07.2021 के अनुसार खसरा नम्बर 1316/300 के नीचे एक लाल रेखा खीचीं हुई है जिसमें कोई खसरा नम्बर नहीं है। अतः वह मौके पर उक्त रेखा के अनुसार किसी खातेदार का कब्जा नहीं है। अतः उक्त लाल रेखा को हटाने के बाद ही अग्रिम तरमीम के प्रस्ताव तैयार किये जा सकते है।

खसरा नम्बर 1337/299/1/3 विकास समिति द्वारा दिनांक 14.02.2002 कमला बेवा श्रवण व नरेन्द्र पुत्र श्रवण से क्रय किया जाना पाया जाता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नक्शा ग्राम ब्रिजलालनगर जो कि सत्य प्रतिलिपी होकर दिनांक 18.06.1992 को पटवार हल्का ब्रिजलालनगर द्वारा जारी होना दिखाई पड़ रहा हैं। के अनुसार खसरा नम्बर 1316/300 के नीचे एक लाल लाईन खीचीं होकर खसरा नम्बर 1337/299/1/3 अंकित किये है। उक्त नक्शा तहसीलदार या उपखण्ड अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। एस0डी0ओ द्वारा अनुमोदित नक्शा ट्रेस में 1337/1808 के नीचे कोई अन्य बटां नम्बर अंकित नहीं है।

वकील अपीलांट की ओर से एक अन्य नक्शा ट्रेस दिनांक 11.09.2018 प्रस्तुत किया हुआ है। इसके अनुसार भी खसरा नम्बर 1316/300 के नीचे एक लाल स्याही से रेखा खींची हुई है तथा लाल रेखा के नीचे की ओर खसरा नम्बर 1337/299/1/3 अंकित किया हुआ है। उक्त नक्शा ट्रेस पर भी सिर्फ पटवारी के हस्ताक्षर है। तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

पटवारी रिपोर्ट दिनांक 13.07.2021 के अनुसार खसरा नम्बर 1337/1807 रकबा 5 बीघा बंजर विकास समिति मेघवंशी समाज ब्रिजलालनगर, रजिस्ट्रेशन नम्बर 103,टोंक,98,99 जरिये कोषाध्यक्ष महावीर पुत्र नानूराम मेघवंशी, साकिम ब्रिजलालनगर खातेदार पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश कखग का स्थगन बताया है। अपीलांट द्वारा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 13.07.2021 में में बताई गई कंकरीट के रास्ते एवं सड़को बाबत कोई जानकारी अपने अपील मीमौ तथा बहस के दौरान नहीं बताई गयी है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार रेस्पो0 1 से 3 की कब्जाशुदा भूमि में कंकरिट रास्ते विकसित हो रखे है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा कब्जे के आधार पर तरमीम की आज्ञा दी है। उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को तहसीलदार ,भू–अभिलेख मालपुरा द्वारा दिनांक 23.07.2021 की रिपोर्ट के साथ नक्शा ट्रेस संलग्न है। जिसकी जांच गिरदावर द्वारा की गई है। तहसीलदार द्वारा काउण्टर हस्ताक्षर किये गये है तथा उक्त तरमीमशुदा नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसमें कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:29 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 289/2020 में दिये गये निर्णय दिनांक 23.07.2021 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 01.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:29 IST
Reason: SelfAttested